प्रेस नोट
थाना नवाबाद, जनपद झांसी

दिनाँक 09.07.2026

- **जनपद झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही,**
- **शादी कराने के नाम पर संगठित साइबर ठगी करने वाले फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर का सफल अनावरण,**
- **गिरोह के 11 सदस्य गिरफ्तार, कब्जे से साइबर ठगी में प्रयुक्त उपकरण/सामान व आभूषण सहित करीब 09 लाख रू0 का माल बरामद।**
- **विभिन्न बैंकों के 07 खातों में 41 लाख रूपए लेनदेन के दस्तावेज बरामद, उक्त धनराशि की फ्रीजिंग की कार्यवाही की जा रही है।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ व पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में दिनांक 08.07.2026 को थाना नवाबाद की साइबर टीम द्वारा ऑनलाइन मैट्रिमोनियल फ्रॉड से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रकरण का सफल अनावरण करते हुये 9 नफर महिला अभियुक्ता व 02 नफर पुरुष अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। थाना क्षेत्र नवाबाद स्थित सुनील राय पुत्र स्व0 छेदीलाल राय उम्र करीब 49 वर्ष निवासी 240/1E राय कलोनी सिटी कार्ट के पीछे थाना नवाबाद जनपद झाँसी के मकान में संचालित शादी संस्था डाट काम के सम्बन्ध में प्राप्त साइबर ठगी की सूचना पर श्रीमान अपर नगर मजिस्ट्रेट महोदय से प्राप्त अनुमति के आधार पर थाना नवाबाद की साइबर टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 08.07.2026 को थाना नवाबाद पर सूचना प्राप्त हुई कि विगत कुछ दिनों से थाना क्षेत्र में फर्जी कॉल सेंटर का संचालन कर लोगों के साथ ठगी की जा रही है। प्राप्त सूचना के आधार पर की गई जाँच में चौकी मंडी क्षेत्र स्थित सुनील राय पुत्र स्व० छेदीलाल राय, उम्र लगभग 49 वर्ष, निवासी 240/1E, राय कॉलोनी, सिटी कार्ट के पीछे, थाना नवाबाद, जनपद झाँसी के मकान में फर्जी कॉल सेंटर संचालित होना पाया गया। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक थाना नवाबाद द्वारा श्रीमान अपर नगर मजिस्ट्रेट महोदय से उक्त परिसर की तलाशी एवं आवश्यक सीजर कार्यवाही की

अनुमति प्राप्त की गई। अनुमति प्राप्त होने के उपरांत प्रभारी निरीक्षक थाना नवाबाद मय पुलिस बल के उक्त मकान के अंदर प्रवेश कर नियमानुसार तलाशी एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई। दबिश से फर्जी काल सेन्टर का संचालन कर रहे 9 नफर महिला अभियुक्ता व 02 नफर पुरुष अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर अभि0गण के कब्जे से 09 अदद मोबाइल फोन एंड्रायड व 17 अदद कीपैड मोबाइल फोन व 01 अदद मैक बुक व 62 अदद कापी व 22 अदद लेखा-जोखा रजिस्टर व 25 अदद फाइल व 01 अदद यूपीआई क्यूआर कोड व 01 अदद क्यूआर साऊन्ड बाक्स 06 अदद चेकबुक, 02 पैन कार्ड, 11 मोहर व 03 स्टाम्प पैड, 01 आधारकार्ड, 16 एटीम डेबिट कार्ड, 04 सिम एयरटेल कम्पनी, 01 अदद राऊटर, 01 बायोमैट्रिक मशीन, 01 अदद बैनर शादी संस्था डाट काम, 07 अदद सीपीयू व 01 अदद प्रिंटर मशीन, ठगी के रूपयो से खरीदी गई एक अदद चेन पीली धातु की, एक जोडी कान के टाप्स पीली धातु के बरामद किये गये । जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 341/26 धारा 112/318(4) व 66 (डी) आईटी एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताँछ का विवरण –</u>

गिरफ्तार किये गये अभि0गण से की गई पूछताँछ में सभी ने एक सुर में बताया कि हम सब लोग 6000/- रुपये महीने में काम करते हैं तथा शादी संस्था डाट काम के संचालक हलधर साहू व सह संचालिका आकांक्षा के कहने पर ग्राहक को बातों मे फसा कर उनसे पैसा लेकर संचालक के द्वारा दिए गए खातों व क्यूआर कोड के माध्यम से डलवाते हैं तथा अच्छा काम करने पर हमे प्रत्येक काम में कमीशन मिलता है हम अपने हिसाब किताब की कापी मैनेजर साहिल साहू के पास जमा करते हैं।

मैनेजर साहिल साहू से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैं हलदर के लिए शादी संस्था डाट काम में काम करता हूँ जिसके लिए मुझे आठ हजार रुपये महीने की सैलरी मिलती है। मैं व आकांक्षा मिलकर किए गए काम के एवज में बेतन व कमीशन का भुगतान करते हैं।

अभियुक्ता अकांक्षा से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैं करीब एक साल छः महीने से यहाँ काम कर रही हूँ। यहां पर नई लडकियों को ज्वाइन कराना उन्हे ट्रेनिन्ग देने का काम मैं करती हूँ।

<u>नाम पता अभियुक्तगण –</u>

1.साहिल साहू पुत्र परशुराम साहू निवासी नवा तालाब पारा,रोगदा, सिउद जिला जांजगीर चापा, छत्तीसगढ
2.हलधर साहू पुत्र श्री गणेश राम साहू वार्ड न0 09 नवा तालाब पारा,रोगदा, सिउद जिला जांजगीर चापा, छत्तीसगढ
3.आकांक्षा श्रीवास्तव पुत्री सुनील श्रीवास्तव निवासी भट्टागाँव सदर बाजार झाँसी उम्र 27 वर्ष
4.पुष्पा पाल पुत्री प्रभु दयाल पाल निवासी सिमरहा थाना सदर बाजार झाँसी उम्र 35 वर्ष
5.आरती कुशवाहा पत्नी मनोज प्रजापति निवासी भान्डेरी गेट बाहर थाना कोतवाली जिला झाँसी उम्र- 24
6.रजनी आर्य पुत्री नारायण प्रसाद निवासी हंसारी थाना प्रेमनगर झाँसी उम्र करीब 26 वर्ष
7.पूजा शर्मा पुत्री राम बाबू शर्मा निवासी सुधा नर्सिंग होम न्यू आवास विकास थाना नवाबाद झांसी उम्र 28 वर्ष
8.दिक्षा कुमारी पुत्री गोविंद दास निवासी भट्टागाँव थाना सदर बाजार झाँसी उम्र- 22 वर्ष
9.नेहा कुमारी पुत्री गोविंद दास निवासी भट्टागाँव थाना सदर बाजार झाँसी उम्र- 24 वर्ष

10.साक्षी झाँ पुत्री धर्मेन्द्र झाँ निवासी बडागाँव गेट बाहर थाना कोतवाली झाँसी उम्र 24 वर्ष
11.राजकुमारी वर्मा पुत्री नारायण प्रसाद निवासी राजगढ विकास नगर बिजौली थाना प्रेमनगर झांसी उम्र 25 वर्ष
(सभी अभि0गण गिरफ्तार)

<u>बरामदगी का विवरण –</u>

- 09 अदद मोबाइल फोन एंड्रायड व 17 अदद कीपैड मोबाइल फोन
- 01 अदद मैक बुक एप्पल कम्पनी का
- 62 अदद कापी व 22 अदद लेखा-जोखा रजिस्टर, 25 अदद फाइल
- 01 अदद यूपीआई क्यूआर कोड व 01 अदद क्यूआर साऊन्ड बाक्स
- 06 अदद चेकबुक 16 एटीएम डेबिट कार्ड
- 11 मोहर व 03 स्टाम्प पैड
- 02 पैन कार्ड, 01 आधारकार्ड
- 04 सिम एयरटेल कम्पनी, 01 अदद राऊटर, 01 बायोमैट्रिक मशीन
- 01 अदद बैनर शादी संस्था डाट काम
- 07 अदद सीपीयू व 01 अदद प्रिंटर मशीन
- ठगी के रूपयो से खरीदी गई एक अदद चेन पीली धातु की व एक जोडी कान के टाप्स पीली धातु के
- विभिन्न बैंकों के 07 खातों में 41 लाख रूपए लेनदेन के दस्तावेज बरामद, उक्त धनराशि की फ्रीजिंग की कार्यवाही की जा रही है।

समस्त बरामदशुदा माल की अनुमानित कीमत – 9,00,000/- रूपये है ।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –</u>
1. प्रभारी निरीक्षक श्री रवि श्रीवास्तव थाना नवाबाद जनपद झाँसी
2. निरीक्षक श्री अरविन्द यादव प्रभारी साइबर थाना जनपद झाँसी
3. उ0नि0 श्री आरिफ मोहम्मद, साइबर थाना जनपद झाँसी
4. उ0नि0 नवीन सिंह थाना नवाबाद जनपद झाँसी
5. का0 322 निरंजन लाल शर्मा थाना नवाबाद जनपद झाँसी
6. रि0का0 733 मृत्युंजय त्रिवेदी थाना नवाबाद जनपद झाँसी
7. रि0का0 736 गौरव शुक्ला थाना नवाबाद जनपद झाँसी
8. म0का0 1820 पूनम थाना नवाबाद जनपद झाँसी
9. रि0म0का0 475 रश्मि यादव थाना नवाबाद जनपद झाँसी